फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राधिका देवी, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

हनुमानसिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमा न0 24/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.19	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से जांच बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम बिशनपुरा (जाखोद) की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 36 में अंकित ख.नं. 70 रकबा 1.92 है0 तथा ख.नं. 91/15 रकबा 6.74 है0 भूमि में भानसिंह पुत्र प्रहलादसिंह हिस्सा 407/1732 जाति मेघवाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र व गांव के मौतबिर व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर प्रार्थी का नाम भानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के स्थान पर हनुमान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिशनपुरा (जाखोद) की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 36 में अंकित ख.नं. 70 रकबा 1.92 है0 तथा ख.नं. 91/15 रकबा 6.74 है0 भूमि में भानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह के बजाय हनुमानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.04 15:21:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner